

एफसीआई रोड की शराब दुकान में देर रात तक अवैध बिक्री का वीडियो वायरल

स्थानीय लोग नाराज, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की दरकार



शहडोल | संवाददाता
राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

एफसीआई रोड स्थित कंपोजिट शराब दुकान में नियमों की अवहेलना करते हुए देर रात तक शराब की बिक्री करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शुरुवार को वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुकान निर्धारित समय समाप्त होने के बावजूद शराब बेचती रही और ग्राहकों से सामान्य दर से अधिक शुल्क वसूल किया गया। स्थानीय लोग और उपभोक्ता इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह ठेकेदार का नया कारनामा नहीं है, बल्कि पहले भी वह पैकारी और स्टॉक के मामलों में विवादों में रह चुका है। ऐसे में जनता और प्रशासन दोनों ही इस घटना को गंभीरता से देख रहे हैं।

ठेकेदार की पुरानी

विवादित गतिविधियां

जानकारों की माने तो

शराब ठेकेदार पहले भी कई बार नियमों के उल्लंघन में चर्चा में आ चुका है।

उसके खिलाफ शिकायतें हो चुकी हैं, जिनमें पैकारी और स्टॉक से संबंधित

अनियमितताएं शामिल रही हैं। ऐसे में यह नया वीडियो न सिर्फ प्रशासन के लिए

बल्कि आम जनता के लिए भी चिंता का विषय बन गया है।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

विधायक ने तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश



शहडोल | संवाददाता
राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 8 फरवरी को जयसिंघनगर के ग्राम गांधिया में प्रस्तावित कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए विधायक शरद कोल ने जनपद पंचायत जयसिंघनगर के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करना था। इस अवसर पर विधायक शरद कोल ने अधिकारियों को कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जनसंपर्क और आयोजन की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी होनी चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो। बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में सीईओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री काजोल सिंह, सीईओ जनपद पंचायत श्रीमती शिवानी जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने तैयारियों की वर्तमान स्थिति और संभावित चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की।

निर्देश और कार्य योजना
विधायक ने अधिकारियों से कहा कि सुरक्षा, स्वागत, पार्किंग व्यवस्था, बिजली-पानी की सुविधा और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया। जिला प्रशासन और जनपद पंचायत की संयुक्त टीम कार्यक्रम की सफल संचालन हेतु समन्वय बनाए रखने के लिए सक्रिय रहेगी।

जिले में संकल्प से समाधान अभियान के तहत प्राप्त हुए 15654 आवेदन, 13929 आवेदनों का किया गया निराकरण

शहडोल | संवाददाता
राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार एवं राज्य शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं उन योजनाओं में जिनके लक्ष्य निर्धारित हैं, लक्ष्य अनुरूप लाभ एवं शासन द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा संकल्प से समाधान अभियान संचालित किया गया है। अभियान का प्रथम चरण में 12 जनवरी से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दल गठित कर

जन सामान्य से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। सीईओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति ने बताया कि संकल्प से समाधान अभियान के तहत अभी तक जिले में 15636 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जनपद पंचायत ब्यौहारी में 1393 आवेदन, जयसिंघनगर जनपद में 3711 आवेदन, गोहपारु जनपद पंचायत में 2472 आवेदन, बुढार जनपद पंचायत में 1510 आवेदन, सोहागपुर जनपद पंचायत में 2472 आवेदन, ब्यौहारी नगर परिषद में 859 आवेदन, धनपुरी नगरपालिका में 1558 आवेदन, खांड नगर

परिषद में 115 आवेदन तथा बकहो नगर परिषद में 547 आवेदन, बुढार नगर परिषद में 100 आवेदन, शहडोल नगर पालिका में 1778, जयसिंघनगर नगर परिषद में 72 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपने अभियान के संचालन हेतु गठित दलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित कर प्रभावी रूप से घर-घर संपर्क कर आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं तथा संबंधित निकायों के अधिकारियों को दैनिक रूप से मानीटरिंग करने को कहा। प्राप्त आवेदनों में से जनपद पंचायत जयसिंघनगर

में 3711, जनपद पंचायत सोहागपुर में 1776, आवेदनों का, जनपद पंचायत गोहपारु में 1169 आवेदन, जनपद पंचायत ब्यौहारी में 1388, जनपद पंचायत बुढार में 1509 आवेदनो का तथा नगरपालिका शहडोल में 1454 आवेदन, धनपुरी नगरपालिका में 962 आवेदन तथा नगर परिषद ब्यौहारी में 859, बकहो नगर परिषद में 429, नगर परिषद जयसिंघनगर में 53, नगर परिषद बुढार में 95, आवेदनो का निराकरण किया जा चुका है।

बालिका संप्रेक्षण गृह और शिवालय शिशु गृह का त्रैमासिक निरीक्षण

शहडोल | संवाददाता
राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 54 के तहत गठित जिला स्तरीय निरीक्षण समिति ने शासकीय बालिका संप्रेक्षण गृह और आशासकीय शिवालय शिशु गृह का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थाओं में निवासरत बच्चों को शासन द्वारा निर्धारित मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की स्थिति की भी समीक्षा की गई। निरीक्षण समिति ने संस्थाओं में बच्चों के बेहतर विकास और सुरक्षित वातावरण



सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष एवं अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, सदस्य अभिषेक चौकसे, श्रीमती राखी

शर्मा, श्रीमती पुष्पा द्विवेदी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अखिलेश मिश्रा, सहायक संचालक महिला बाल विकास श्रीमती संजीता भगत उपस्थित रहे।

शहर में सट्टा कारोबार का फिर से तांडव, चंदू-मंजा बन रहे माफिया

युवा लत में फंस रहे, पुलिस पर सवाल उठने लगे



जरिए चोरी-छिपे कारोबार जारी रखे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये माफिया युवा खिलाड़ियों को मोटे लालच देकर फंसाते हैं लेकिन असल में अधिकांश का पैसा सीधे माफियाओं की जेब में चला जाता है।

पुलिस पर बढ़ते सवाल

पूर्व में पुलिस ने सट्टे के नेटवर्क पर सख्ती दिखा कर इसे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और कार्रवाई में ढील नजर आ रही है। समय रहते यदि बड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो केवल छोटे एजेंट ही बलि का बकरा बने

जीरो से नौ तक का खेल और बढ़ती दरारें

सट्टा का यह खेल जीरो से नौ तक चलता है। एक ही नंबर आने पर बाकी सभी की राशि माफियाओं को चली जाती है। युवाओं को दस के बदले अस्सी मिलने का लालच दिया जाता है लेकिन वास्तविकता में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यह खेल अब न केवल शहर तक सीमित है बल्कि बुढार और धनपुरी तक फैल चुका है।

भविष्य हो रहा

अंधकारमय

सट्टे के चंगुल में फंसे युवाओं का भविष्य गंभीर संकट में है। कई युवा अपनी कमाई की लालसा में पूरी जिंदगी खतरे में डाल चुके हैं। आत्महत्या जैसे वास्तविकदम भी इस अवैध कारोबार का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

रहेंगे। यह मामला शहर के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है और प्रशासन की निगरानी एवं रणनीति को चुनौती दे रहा है।

अनारक्षित वर्ग ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 का किया जोरदार विरोध



शहडोल | संवाददाता
राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

शहर के अनारक्षित (सवर्ण) वर्ग के समाजसेवियों, शिक्षाविदों और नागरिकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम, 2026 का कड़ा विरोध किया। सर्व समाज समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में भारी संख्या में डॉक्टर, वकील, शिक्षक और समाजसेवी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपते हुए यूजीसी काला कानून वापस लो के नारे लगाए। उनका कहना है कि यह नियम अनारक्षित वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ भेदभाव और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। यूजीसी द्वारा जनवरी 2026 में अधिसूचित यह विनियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत

भेदभाव रोकने, इकट्ठी कमिटियां बनाने और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर केंद्रित है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इसके कुछ प्रावधान अस्पष्ट और एकतरफा हैं, जो समाज में विभाजन और सामान्य वर्ग के लोगों में भय का माहौल बना सकते हैं। इस विरोध प्रदर्शन की पुष्ठभूमि में देशभर में कई शहरों में इसी तरह के विरोध चल रहे हैं, जिनमें लखनऊ, दिल्ली और जबलपुर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 के अंत में इस नियम पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रदर्शन अनारक्षित वर्ग की एकजुटता और उच्च शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता का प्रतीक है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है।

लोक अदालत से निपटेंगे राजीनामा योग्य मामले, मिलेगा त्वरित न्याय

शहडोल | संवाददाता
राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार और माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री के.एन. सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की प्रथम नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम जिला न्यायालय शहडोल तथा सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढार और जयसिंघनगर में एक साथ संपन्न होगा। जिला विधिक सहायता

नेशनल लोक अदालत का आयोजन मुख्य रूप से जनता को त्वरित, सरल और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इससे संबंधित मामलों में तेजी आती है और नागरिकों को अपने विवादों का समाधान कम समय में मिल पाता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जो भी विवाद संबंधित है और जो मामले राजीनामा योग्य हैं, वे निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि न्याय प्रक्रिया सरल और शीघ्र हो सके।

अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने बताया कि इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल मामले, चेक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने

आगे बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मीटपाए गए मामलों में संपूर्ण कोर्ट फीस की वापसी की जाएगी और विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा नगरपालिका के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों और विद्युत प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

शहडोल | संवाददाता
राष्ट्रबाण | rashtabaan.in

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शहरी जयंती के अवसर पर 8 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए कमिश्नर शहडोल संभाग, श्रीमती सुरभि गुप्ता और कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जनपद पंचायत जयसिंघनगर के ग्राम गांधिया में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मॉडल परिसर की सफाई और रंगाई-पुताई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा



कि कार्यक्रम में शहरी माता की प्रतिमा का अनावरण और हितग्राहियों को लाभ वितरण जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए

जाएंगे, और सभी तैयारियों को समय पर पूरा किया जाए। निरीक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति,

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री काजोल सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कमिश्नर और कलेक्टर ने अधिकारियों को

निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएँ सुचारू और सुरक्षित ढंग से हों, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो।

